

11.21 hours**SPECIAL DISCUSSION TO COMMEMORATE THE 75th ANNIVERSARY OF THE QUIT INDIA MOVEMENT**

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब आज गौरव भी महसूस कर रहे हैं कि अगस्त क्रांति का स्मरण करने का इस सदन के पवित्र स्थान पर हम लोगों को सौभाग्य मिला है। हम में से बहुत से लोग हैं, जिन्हें शायद अगस्त क्रांति, नौ अगस्त और उन घटनाओं का स्मरण होगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के लिए भी पुनः स्मरण एक प्रेरणा का कारण बनता है। सामाजिक जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का बार-बार स्मरण, जीवन की भी अच्छी घटनाओं का बार-बार स्मरण, जीवन को एक नई ताकत देता है, राष्ट्र जीवन को भी एक नई ताकत देता है। उसी प्रकार से हमारी जो नई पीढ़ी है, उन तक भी यह बात पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास के इन स्वर्णिम पृष्ठों को उस समय के माहौल को, उस समय के हमारे महापुरुषों के बलिदान को, कर्तव्य को, सामर्थ्य को, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी हर पीढ़ी का दायित्व रहता है। जब अगस्त क्रांति के 25 साल हुए, 50 साल हुए, देश के सभी लोगों ने उन घटनाओं का स्मरण किया था। आज 75 साल हो रहे हैं और मैं इसे बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदया जी का आभारी हूँ कि आज हमें यह अवसर मिला है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 09 अगस्त एक ऐसी अवस्था में है, इतने व्यापक और इतने तीव्र आंदोलन की अंग्रेजों ने भी कल्पना नहीं की थी। महात्मा गांधी एवं सभी वरिष्ठ नेता जेल चले गए और वही पल था कि अनेक नए नेतृत्व ने जन्म लिया। लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण आदि अनेक वीर युवाओं ने उस समय जो खाली जगह थी, उसको भरा और आंदोलन को आगे बढ़ाया।

इतिहास की ये घटनायें हम लोगों के लिए एक नई प्रेरणा, नया सामर्थ्य, नया संकल्प, नया कर्तव्य जगाने के लिए किस प्रकार से अवसर बनें, यह हम लोगों का निरन्तर प्रयास रहना चाहिए। वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ, एक प्रकार से वर्ष 1857 से लेकर वर्ष 1947 तक आजादी के आन्दोलन के अलग-अलग पड़ाव आये, अलग-अलग पराक्रम हुए, अलग-अलग बलिदान हुए। उतार-चढ़ाव भी आये, अलग-अलग मोड़ पर से यह आन्दोलन गुजरा, लेकिन वर्ष 1947 की आजादी के पहले वर्ष 1942 की घटना एक प्रकार से अन्तिम व्यापक आन्दोलन था, अन्तिम व्यापक जन संघर्ष था और उस जन संघर्ष ने आजादी के लिए देशवासियों को सिर्फ समय का ही इन्तजार था, वह स्थिति पैदा कर दी थी। जब हम आजादी के इस आन्दोलन की ओर देखते हैं तो वर्ष 1942 एक ऐसी पीठिका तैयार हुई थी, वर्ष 1857 का स्वतंत्रता संग्राम,

एक साथ देश के हर कोने में आजादी का बिगुल बजा था। उसके बाद महात्मा गाँधी का विदेश से लौटना, लोकमान्य तिलक का "पूर्ण स्वराज" और "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है", के भाव को प्रकट करना। वर्ष 1930 में महात्मा गाँधी का दांडी मार्च, नेताजी सुभाष बोस द्वारा आजाद हिन्द फौज की स्थापना, अनेक वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चन्द्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधु अनगिनत वीर अपने-अपने समय पर बलिदान देते रहे। इन सारों ने एक पीठिका तैयार की और इस पीठिका का परिणाम था कि बयालीस ने देश को एक उस छोर पर लाकर रख दिया कि अब नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, यह मिजाज देशवासियों का बन गया था। इसके कारण उस आन्दोलन में इस देश का छोटा-मोटा हर व्यक्ति जुड़ गया था। कभी लगता था कि आजादी का आन्दोलन एक ऐलीट क्लास के द्वारा चल रहा है, लेकिन बयालीस की घटना, देश का कोई कोना ऐसा नहीं था, देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं था, देश की कोई सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि जिसने इसे अपना न माना हो और गाँधी के शब्दों को लेकर वे चल पड़े थे। यही तो आन्दोलन था, जब अन्तिम स्वर में बात आई कि "भारत छोड़ो" और सबसे बड़ी बात है कि महात्मा गाँधी के पूरे आन्दोलन में जो भाव कभी प्रकट नहीं हो सकता था, पूरे गाँधी के चिन्तन-मनन और विचार-आचार को देखें, उससे हटकर घटना घटी। इस महापुरुष ने कहा कि "करेंगे या मरेंगे।" गाँधी के मुँह से "करेंगे या मरेंगे" शब्द देश के लिए अजूबा था और इसलिए गाँधी को भी उस समय कहना पड़ा था और उन्होंने यह शब्द कहा था कि आज से आपमें हर एक को, स्वयं को एक स्वतंत्र महिला या पुरुष समझना चाहिए और इस प्रकार काम करना चाहिए मानो आप स्वतंत्र हैं। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हम करेंगे या मरेंगे। ये बापू के शब्द थे और बापू ने स्पष्ट भी किया था कि मैंने अपने अहिंसा के मार्ग को छोड़ा नहीं है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है और उस समय जन-सामान्य का दबाव ऐसा था कि बापू के लिए भी उसका नेतृत्व संभालते हुए उन जन-भावनाओं के अनुकूल इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा था।

मैं समझता हूँ कि उस समय समाज के जब सभी वर्ग जुड़ गए - गाँव हो, किसान हो, मज़दूर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर कोई इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और 'करेंगे या मरेंगे' की बात कहते थे। बापू तो यहाँ तक कहते थे कि अंग्रेज़ों की हिंसा के कारण कोई भी शहीद होता है तो उसके शरीर पर एक पट्टी लिखनी चाहिए - 'करेंगे या मरेंगे,' और वह इस आजादी के आंदोलन का शहीद है, इस प्रकार की ऊंचाई तक इस आंदोलन को बापू ने ले जाने का प्रयास किया था। उसी का परिणाम था कि भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। देश उस मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। नेता हो या नागरिक, किसी की इस भावना की तीव्रता में कसू भर भी अंतर नहीं था। मैं समझता हूँ कि देश जब उठ खड़ा होता है, सामूहिकता की शक्ति जब पैदा होती है, लक्ष्य निर्धारित होता है और निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए लोग कृत-

संकल्प होकर चल पड़ते हैं तो 1942 से 1947 - पाँच साल के भीतर बेड़ियाँ चूर-चूर हो जाती हैं और माँ भारती आज़ाद हो जाती है।

रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक किताब लिखी है - 'ज़ंज़ीरों और दीवारों' उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक अद्भुत वातावरण पूरे देश में बन गया था। उस पल को उन्होंने शब्दांकित किया था -

“हर व्यक्ति नेता बन गया और देश का प्रत्येक चौराहा 'करो या मरो' आंदोलन का दफ्तर बन गया। देश ने स्वयं को क्रांति के हवन कुंड में झोंक दिया। क्रांति की ज्वाला देश भर में धू-धू करके जल रही थी। बंबई ने रास्ता दिखा दिया, आवागमन के सारे साधन ठप हो चुके थे, कचहरियाँ वीरान हो चली थीं। भारत के लोगों की वीरता और ब्रिटिश सरकार की नृशंसता की खबरें सब दूर पहुँच रही थीं। जनता ने 'करो या मरो' के गांधीवादी मंत्र को अच्छी तरह दिल में बैठा दिया था। ”

उस समय का यह वर्णन उस किताब में जब पढ़ते हैं, तब पता लगता है कि किस प्रकार का माहौल होगा। एक वह समय था, और यह बात सही है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आरंभ हिन्दुस्तान में हुआ और इस घटना के बाद उसका अंत भी हिन्दुस्तान से हुआ था। भारत आज़ाद होना सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं थी। 1942 के बाद, विश्व के जिन-जिन भूभाग में, अफ्रीका और एशिया में इस उपनिवेशवाद के खिलाफ एक ज्वाला भड़की, उसका प्रेरणा केन्द्र भारत बन गया था। इसलिए भारत सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं, आज़ादी की ललक विश्व के कई भागों में फैलाने में भारत के जनसामान्य का संकल्प और कर्तुत्व कारण बन गया था और कोई भी भारतीय इस बात के लिए गर्व कर सकता है। उसको हमने देखा कि एक बार भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद एक के बाद एक उपनिवेशवाद के सारे लोगों के झंडे ढहते गए और आज़ादी सब दूर पहुँचने लगी। कुछ ही वर्षों में दुनिया के इन सारे देशों को आज़ादी प्राप्त हो गई। यह काम बताता है कि यह भारत की प्रबल इच्छाशक्ति का एक उत्तमोत्तम परिणाम था। हमारे लिए सबक यही है कि जब हम एक बनकर के, संकल्प लेकर के, पूरे सामर्थ्य के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाते हैं तो यह देश की ताकत है कि हम देश को संकटों से बाहर निकाल देते हैं, देश को गुलामी की जंज़ीरों से बाहर निकाल सकते हैं, देश को नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार कर सकते हैं, यह इतिहास ने बताया है। उस समय इस पूरे आंदोलन को और पूज्य बापू के व्यक्तित्व को लगते हुए राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है, बापू का सामर्थ्य क्या है, उसको वह प्रकट करती है। उस कविता में उन्होंने कहा था -

चल पड़े जिधर दो डग, मग में
चल पड़े कोटि पग उसी ओर;
गड़ गयी जिधर भी एक दृष्टि,
गड़ गए कोटि दृग उसी ओर,

जिस तरफ गांधी के दो कदम चल देते थे, उस तरफ अपने आप करोड़ों लोग चल पड़ते थे। जिधर गांधी जी की दृष्टि टिक जाती थी, उधर करोड़ों-करोड़ आंखें देखने लग जाती थीं। इसलिए, आज जब हम वर्ष 2017 में हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज हमारे पास गांधी नहीं हैं, उस समय जो ऊंचाई वाला नेतृत्व था, वह आज हमारे पास नहीं है। लेकिन, सवा सौ करोड़ देशवासियों के विश्वास के साथ बैठे हुए हम सब लोग मिल करके उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें तो मैं मानता हूँ कि गांधी के सपनों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना मुश्किल काम नहीं है। आज का यह अवसर इसी बात के लिए है। उस समय भी वर्ष 1942 में जो वैश्विक हालात थे, वह भारत की आज़ादी के लिए बड़ा अनुकूल था। जो भी उस इतिहास से परिचित हैं, उन्हें मालूम है। मैं समझता हूँ कि आज फिर से एक बार वर्ष 2017 में, जबकि 'क्वीट इंडिया मूवमेंट' के हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय विश्व में वह अनुकूलता है, जो भारत के लिए बहुत सहानुकूल है और उस अनुकूल व्यवस्था का फ़ायदा हम जितनी जल्दी उठा लें, जैसे उस समय विश्व के कई देशों के लिए हम प्रेरणा का कारण बने थे, अगर आज हम मौका ले लें, तो आज फिर से एक बार हम विश्व के कई देशों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, प्रेरणा का कारण बन सकते हैं, ऐसे मोड़ पर आज हम खड़े हैं। वर्ष 1942 और 2017, इन दोनों के वैश्विक परिवेश में भारत का महात्म्य, भारत के लिए अवसर समान रूप से खड़े हैं और उस समय हम इस बात को कैसे लें, इस जिम्मेदारी को कैसे लें। मैं मानता हूँ, इतिहास के इन प्रकरणों से, सामर्थ्य से प्रेरणा लेकर कि हमारे लिए दल से बड़ा देश होता है, राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है, मेरे अपने से ऊपर सवा सौ करोड़ देशवासी होते हैं, अगर उस भाव को लेकर हम उठ चलें, हम सब मिल कर आगे बढ़ें तो हम इन समस्याओं के खिलाफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हम इस बात से इन्कार कैसे कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा हुआ है। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो या सामाजिक भ्रष्टाचार हो या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, कल क्या हुआ, कब किस ने क्या किया, इसके विवाद के लिए समय बहुत होते हैं, लेकिन आज इस पवित्र पल में हम आगे कोई ईमानदारी का उत्सव मना सकते हैं, ईमानदारी का संकल्प लेकर क्या देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या देश को ले जा सकते हैं, यह समय की मांग है, देश के सामान्य मानवी की मांग है।

गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हम सरकार की चुनौतियां न मानें। ये चुनौतियां देश की हैं, देश के गरीब के सामने संकट भरे सवाल खड़े हैं और इसलिए देश के लिए जीने-मरने वाले, देश के लिए संकल्प करने वाले हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इसको पूरा करने के लिए हम कुछ मुद्दों पर एक हों। वर्ष 1942 में भी अलग-अलग धारा के लोग थे, हिंसा में विश्वास

करने वाले भी लोग थे। नेताजी सुभाष बाबू की सोच अलग थी, लेकिन '42 में सबने एक स्वर से कह दिया था कि आज तो गांधी के नेतृत्व में 'क्वीट इंडिया', यही हमारा मार्ग है।

हमारे लालन-पालन तथा विचारधारा अलग-अलग रही होंगी, लेकिन यह समय की मांग है कि हम कुछ बिंदुओं से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्प का अवसर लेकर चलें; चाहे गरीबी हो, भुखमरी हो, अशिक्षा हो या अंधश्रद्धा हो। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना कितना पीछे छूट गया है। क्या कारण है कि लोग गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर बस रहे हैं। गांव की उस चिंता को तथा गांधी जी के मन में जो गांव था, क्या हम अपने भीतर उनको पुनर्जीवित कर सकते हैं। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के जीवन के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें मिलकर करना है। यह सवाल मेरे और तेरे का नहीं है, यह सवाल उस पार या इस पार का नहीं है, बल्कि यह सवाल हम सभी का है, देश के सवा सौ करोड़ देशवासियों का है और सवा सौ करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधियों का है। यही वह समय होता है जब हम लोगों को कुछ कर लेने के लिए वह प्रेरणा हमें शक्ति देती है और हम उसको लेकर आगे चल सकते हैं।

हम यह भी जानते हैं कि देश में जाने-अनजाने अधिकार भाव प्रबल होता चला गया और कर्तव्य भाव लुप्त होता गया। राष्ट्र जीवन के अंदर, समाज जीवन के अंदर अधिकार भाव का महात्मय उतना ही रहते हुए, अगर हम कर्तव्य भाव को थोड़ा सा भी कम आंकने लगेंगे, तो समाज जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें होंगी, दुर्भाग्य से हम लोगों के वे ऑफ लाइफ तथा हमारे चरित्र में कुछ चीजें घुस गई हैं, जिनमें हमें बुराई नहीं लगती कि हम लोग गलत कर रहे हैं। अगर मैं चौराहे पर रेड लाइट को छोड़कर या क्रॉस करके निकल जाता हूं, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कानून तोड़ रहा हूं। मैं कहीं पर थूक देता हूं, गंदगी करता हूं, लेकिन हमें लगता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। हम अपने कर्तव्य भाव से तथा एक प्रकार से हमारे जहन में, हमारे वे ऑफ लाइफ में इस प्रकार के नियमों को तोड़ना, कानूनों को तोड़ना एक स्वाभाव बनता चला जा रहा है। छोटी-छोटी घटनाएँ हिंसा की ओर ले जा रही हैं। अस्पताल में किसी डॉक्टर द्वारा अगर किसी पेशेंट का कुछ हुआ, डॉक्टर दोषी है या नहीं है, अस्पताल दोषी है या नहीं है, रिश्तेदार वहां जाते हैं और अस्पताल में आग लगा देते हैं, डॉक्टर को मारते-पीटते हैं। हर छोटी-मोटी घटना, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो हम कार को जला देते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं। यह जो प्रवृत्ति चली है, लॉ एबाइडिंग सिटिजन के नाते हमारा कर्तव्य होना चाहिए तथा हम मानने लगे हैं कि यह हमारे से छूट गया है। हमारे वे ऑफ लाइफ में ऐसी चीजें घुस गई हैं, जैसे हमें लगता ही नहीं है कि हम कानून तोड़ रहे हैं। इसलिए, यह लीडरशिप की जिम्मेवारी होती है, समाज के अंदर हम सभी की जिम्मेवारी होती है कि समाज के अंदर इन दोषों से मुक्ति दिला करके कर्तव्य भाव को जगाएं।

शौचालय एवं स्वच्छता का विषय मजाक का नहीं है। हम उन माँ-बहनों की परेशानी को समझें, तब हमें पता चलता है कि जब शौचालय नहीं होता है और रात के अंधेरे का इंतजार करते समय कैसे दिन बिताना पड़ता है। शौचालय बनाना एक काम है, लेकिन समाज की मानसिकता बदल करके शौचालय का उपयोग करना, जन सामान्य की शिक्षा के लिए आवश्यक है। हमें इस भाव को जगाना होगा। यह भाव कानूनों से नहीं होता है, कानून बनाने से नहीं होता है। कानून उसमें मदद कर सकता है, लेकिन कर्तव्य भाव जगाने से ज्यादा हो सकता है। इसलिए, हम लोगों को यह काम करना होगा। हमारे देश की माताएं-बहनें देश के अंदर तथा कम से कम देश पर जो उनका बोझ है, देश को कम से कम जिनका बोझ सहना पड़ता है। अगर वह कोई वर्ग है, तो इस देश की माताएं, बहनें व महिलाएं हैं। उनकी सामर्थ्य हमें कितनी ताकत दे सकती है, उनकी भागीदारी हमारे विकास के अंदर हमें कितना बल दे सकती हैं। पूरी आजादी के आंदोलन में देखिए, महात्मा गांधी जी के साथ जहां-जहां भी आंदोलन हुआ, अनेक ऐसी माताएं-बहनें उस आंदोलन का नेतृत्व करती थीं और देश को आजादी दिलाने में हमारी माताओं-बहनों का उस युग में भी उतना ही योगदान था। आज भी राष्ट्र के जीवन में उनका उतना ही योगदान है। उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों को कर्तव्य से आगे बढ़ना चाहिए।

यह बात सही है कि 1857 से 1942, हमने देखा कि आजादी का आंदोलन अलग-अलग पड़ाव से गुजरा, उतार-चढ़ाव आए, अलग-अलग मोड़ आए, नेतृत्व नये-नये आते गए। कभी क्रांति का पक्ष ऊपर हो गया, कभी अहिंसा का पक्ष ऊपर हो गया, कभी दोनों धाराओं के बीच टकराव का भी माहौल रहा, तो कभी दोनों धारायें एक-दूसरे की पूरक भी हुईं। यह सारा 1857 से 1942 का कालखंड हम देखें, एक प्रकार से इनक्रीमेंटल था, धीरे-धीरे बढ़ रहा था, धीरे-धीरे फैल रहा था, धीरे-धीरे लोग जुड़ रहे थे। लेकिन 1942 टू 1947, वह इनक्रीमेंटल चेंज नहीं था, एक डिसरप्शन का एनवायर्नमेंट था। उसने सारे समीकरणों को खत्म करके आजादी देने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था, जाने के लिए मजबूर कर दिया था। 1857 से 1942, धीरे-धीरे कुछ होता रहता था, चलता रहता था, लेकिन 1942 टू 1947, वह स्थिति नहीं थी।

हम समाज, जीवन में देखें, पिछले 100-200 सालों का इतिहास देखें, तो विकास की यात्रा एक इनक्रीमेंटल रही थी। धीरे-धीरे दुनिया आगे बढ़ रही थी, धीरे-धीरे दुनिया अपने आपको बदल रही थी। लेकिन पिछले 30-40 सालों में दुनिया में अचानक बदलाव आया, जीवन में अचानक बदलाव आया और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इन 30-40 सालों में दुनिया में जो बदलाव आया है, व्यक्ति के जीवन में, मानव जीवन में, सोच में जो बदलाव आया है, 30-40 साल पहले हमें नजर भी नहीं आता था। हम डिसरप्शन वाला एक पॉजिटिव चेंज अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से इनक्रीमेंटल से बाहर निकल करके एकदम से एक हाई जम्प की तरफ चले गए, मैं समझता हूँ कि 2017-2022, क्विंट इंडिया के 75 साल और आजादी के 75 साल के बीच के 5 साल, 1942 टू 1947 का जो मिजाज था,

वही मिजाज अगर हम दोबारा देश में पैदा करें, 2017 टू 2022 आजादी के 75 साल मनायेंगे, तब देश की आजादी के वीरों की जो कामनायें थीं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने आपको खपायेंगे, हम अपने संकल्प को लेकर आगे चलेंगे। मुझे विश्वास है कि न सिर्फ हमारे देश का भला होगा, लेकिन जैसे 1942 टू 1947 की सफलता के कारण दुनिया के अनेक देशों को लाभ मिला, आजादी की ललक पैदा हुई, ताकत मिली, भारत को आज दुनिया के कई देश, एक भाग ऐसा है, जो भारत को उस रूप में देख रहा है। अगर हम 2017 टू 2022 जो कि हम लोगों की जिम्मेदारी का कालखंड है, अगर हम विश्व के सामने भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, तो विश्व का एक बहुत बड़ा समुदाय है, जो किसी नेतृत्व की तलाश में, मदद की तलाश में है, किसी के प्रयोगों से सीखना चाहता है, भारत उस पूर्ति के लिए सामर्थ्यवान है, अगर उसको करने के लिए हम कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। इसलिए एक सामूहिक इच्छाशक्ति जगाना, देश को संकल्पबद्ध करना, देश के लोगों को साथ जोड़ कर चलना और इन पांच वर्षों के महत्व को हम अगर आगे बढ़ायेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हम कुछ मुद्दों पर सहमति बना करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।

हमने अभी-अभी जीएसटी देखा। यह मैं बार-बार कहता हूँ, यह मेरा सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, यह मेरा कन्विक्शन है। जीएसटी की सफलता किसी सरकार की सफलता नहीं है, जीएसटी की सफलता किसी दल की सफलता नहीं है, जीएसटी की सफलता इस सदन में बैठे हुए लोगों की इच्छाशक्ति का परिणाम है। चाहे यहां बैठे हों, चाहे वहां बैठे हों, यश सब को जाता है, राज्यों को जाता है, देश के सामान्य व्यापारी को जाता है और उसी के कारण यह सम्भव हुआ है। देश का राजनीतिक नेतृत्व अपनी प्रतिबद्धता के कारण इतना बड़ा काम कर लेता है, यह दुनिया के लिए अजूबा है। जीएसटी विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है, उसके स्केल को देखते हुए, अगर यह देश इसे कर सकता है, तो और भी सारे निर्णय यह देश मिल-बैठ करके कर सकता है। सवा सौ करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, सवा सौ करोड़ देशवासियों को साथ लेकर, 2022 को संकल्प में लेकर अगर हम चलेंगे, मुझे विश्वास है कि जो परिणाम हमें लाना है, उस परिणाम को हम लाकर रहेंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, 'करो या मरो।' उस समय का सूत्र था, करेंगे या मरेंगे। 2017 में 2022 का भारत कैसा हो, यह संकल्प लेकर चलना है कि हम लोग, हम सब मिलकर देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर गरीबों को उनका अधिकार दिलाएंगे और दिलाकर रहेंगे। हम सभी मिलकर नौजवानों को स्वरोजगार के और अवसर देंगे और देकर रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेड़ियों को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से अशिक्षा खत्म करेंगे और करके रहेंगे, और भी कई विषय हो सकते हैं।

उस समय का मंत्र था - करेंगे या मरेंगे। हम आजाद हिन्दुस्तान में 75 साल बाद आजादी का पर्व मनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं तब - करेंगे और करके रहेंगे, के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। यह संकल्प किसी दल का नहीं, यह संकल्प किसी सरकार का नहीं, यह संकल्प सवा सौ करोड़ देशवासियों, सवा सौ करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधियों, सबका मिलकर संकल्प बनेगा तो मुझे विश्वास है कि संकल्प से सिद्धि के पांच साल 2017 से 2022, आजादी के 75 साल, आजादी के दिवानों का सपना पूरा करने के सामर्थ्यवान समय को हम प्रेरणा का कारण बनाएंगे। आज अगस्त क्रांति दिवस पर उन महापुरुषों का स्मरण करते हुए, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान का स्मरण करते हुए, उस पुण्य स्मरण से आशीर्वाद मांगते हुए, हम सब मिलकर कुछ बातों पर सहमति बनाकर देश को नेतृत्व दें, देश को समस्याओं से मुक्त करें, सपने, सामर्थ्य, शक्ति और लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ें।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आजादी के दीवानों को नमन करता हूँ।